

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

45AA 584942

दिनांक ११-११-२०२०

कलिकांत सिंह



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

" प्रारूप " 28
(नियम 4 क देखिए)



28 मन्सौर निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोक 28 (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग - क

मैं कर्माभुज ** पुत्र/पुत्री/पत्नी 28 सुदीत आयु 70 वर्ष, जो 70

22 पिंजर (बड़ी) गीरवाड़ा जिला मन्सौर (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ

(1) मैं कर्माभुज द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/
X ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
X (** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम कर्माभुज (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. के क्रम संख्या 206 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 7869211693 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई है तो) नहीं है।

(4) रथाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रारिथति : - कर्माभुज

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपएं में)
1	स्वयं	किरेक	किरेक	किरेक
2	पति या पत्नी	किरेक	किरेक	किरेक
3	आश्रित - 1	किरेक	किरेक	किरेक
4	आश्रित - 2	किरेक	किरेक	किरेक
5	आश्रित - 3	किरेक	किरेक	किरेक

Notary (Public) Pawan Kumar Ajmera Ad. Distt. MANDSAUR (M.P.)

कर्माभुज

5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिरक्षी/ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	किरक
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	किरक
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	किरक
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	किरक
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	किरक
(च)	वया सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/है।	किरक

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	किरक
(ख)	उन मामले के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	किरक
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपील)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	किरक

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिरक्षी उपयुक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :



कजो रुदीम

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामले के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	बिना
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)।	बिना
(ग)	अधिरोपित दंड।	बिना
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील, फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति।	बिना

(7) में मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ : बिना

(अ) जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की रीति को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम संख्या, रकम, जमा की तारीख, स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नगदी	5000/-	बिना	बिना	बिना	बिना
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें वचत खातों भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंक/बैंकी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	बिना	बिना	बिना	बिना	बिना
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों सहित यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	बिना	बिना	बिना	बिना	बिना

C. P. K. Jaiswal
Narsary (Public)
Pawan Kumar Ajmera Ad.
Dist. MANDSAUR (M.P.)

अभिप्रेत

(iv)	राष्ट्रीय दत्त योजना, डाक दत्त, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	किं	किं	किं	किं	किं
(v)	किन्ही व्यक्ति या निकाय जिसने फर्न, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अदिन और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	किं	किं	किं	किं	किं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/घाट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	किं	किं	किं	किं	किं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	किं	किं	किं	किं	किं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	किं	किं	किं	किं	किं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	किं	किं	किं	किं	किं

(ख) स्थावर आस्तियों के ब्यारे : *किं*

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

किं

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रकार में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)।	किं	किं	किं	किं	किं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)।	किं	किं	किं	किं	किं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)।	किं	किं	किं	किं	किं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	किं	किं	किं	किं	किं
	क्रय के समय भूमि की लागत। (क्रय की दशा में)	किं	किं	किं	किं	किं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	किं	किं	किं	किं	किं

कंठोपुदी

2

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार को प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ :-
 (टिप्पण : - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यारों का विवरण दें) जिंद

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति।	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों, निगमों को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	कोई अन्य दायित्व	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	दायित्वों का कुल योग	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से भरतने वाले विभागों को शोध्य	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	जल आपूर्ति से भरतने वाले विभाग को शोध्य	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	विद्युत आपूर्ति से भरतने वाले विभाग को शोध्य	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	टेलिफोन/मोबाइल आपूर्ति से भरतने वाले विभाग को शोध्य	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से भरतने वाले विभाग को शोध्य	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	आय-कर शोध्य	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	धनकर शोध्य	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	सेवाकर शोध्य	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
	विक्रयकर शोध्य	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है यदि हाँ तो अंतर्निहित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>	<u>जिंद</u>

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यारे :

(क) स्वयं पत्रकार
 (ख) पति या पत्नी गृहणी

जिंद

L

(10) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

B.A. MA (राजनीति) LLB ब. ए. एम. ए. एल. एल. बी.

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें) भारतसिंहदा बिद्यालयजयपुरा विष्णु विश्व बिद्यालय उज्जैन म.प्र.

भाग - ख

(11) भाग - क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यथी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. <u>श. कज्जीउद्दीन</u>
2	डाक का पूरा पता	<u>22, पिंजाराडीनीमचौक, पोस्ट 2721</u> <u>पिंजाराडीनीमचौक, जयपुरा जिला, राजस्थान</u>
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>मन्दासौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र</u>
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<u>उद्दिष्ट हिन्द फारवर्ड ब्लाक</u>
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	<u>निक</u>
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है {ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न}	<u>निक</u>
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें शिद्ददोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। {लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिमाएं}	<u>निक</u>

Pawan Kumar Ajmera
Notary (Public)
Pawan Kumar Ajmera Ad.
Dist. BHANDSAUR (M.P.)

कज्जीउद्दीन

7	 का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	कि०	कि०	कि०		
	(ख) पति या पत्नी	कि०	कि०	कि०		
	(ग) आश्रित	कि०	कि०	कि०		
8	आस्तियों और दायित्वों के बारे में (रुप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	कि०	कि०	कि०	कि०
	ख	स्थावर आस्तियां	कि०	कि०	कि०	कि०
	I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	कि०	कि०	कि०	कि०
	II.	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत यदि लागू हो	कि०	कि०	कि०	कि०
	 की	कि०	कि०	कि०	कि०
	III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	कि०	कि०	कि०	कि०
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	कि०	कि०	कि०	कि०
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	कि०	कि०	कि०	कि०
9		दायित्व	कि०	कि०	कि०	कि०
	(I)	सरकारी शोध्य (कुल)	कि०	कि०	कि०	कि०
	(II)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	कि०	कि०	कि०	कि०
10		ऐसे दायित्व जो दिवादाधीन हैं	कि०	कि०	कि०	कि०
	(I)	सरकारी शोध्य (कुल)	कि०	कि०	कि०	कि०
	(II)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	कि०	कि०	कि०	कि०

3/3/2017

11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री / पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय / शिवा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें)	बी. ए.	क. ए. ए. रजनीति	कमलेश पट्टा विद्यालय लानेर	विश्व विद्यालय विद्यालय
----	--	--------	--------------------	-------------------------------------	-------------------------------

:: सत्यापन ::

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय - वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का नामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का नामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आरित या दायित्व से भिन्न कोई आरित या दायित्व नहीं है।

आज तारीख ४/११/१४ को सत्यापित किया गया।


अभिसाक्षी

टिप्पण 1 - शपथ - पत्र नामांकन फार्म करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2 - शपथ - पत्र पर किसी शपथ कनिश्चर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिये।


टिप्पण 3 - सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिये कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति " शून्य " या " लागू नहीं होता " उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - शपथ - पत्र टंकित या सूपाद्य रूप से साफ साफ लिखित होना चाहिए।





SWORN BEFORE ME


Notary (Public) 3/11/14

Pawan Kumar Ajmera Ad.
Dist. MANDSAUR (M.P.)